न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट, रीवा (म.प्र.)

(40)

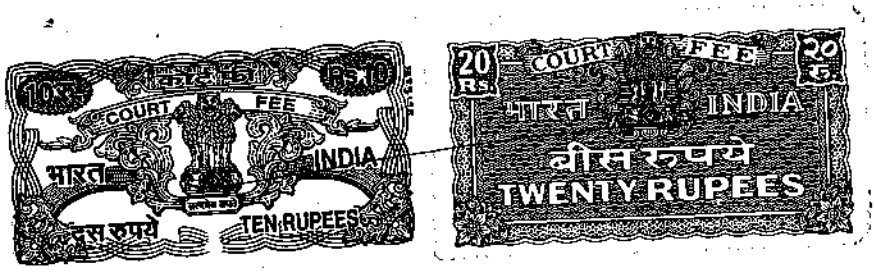

Rs.
30/-

R5137-II/15

दद्दू प्रसाद मिश्रा तनय स्व0श्री गुलाबराम मिश्रा,उम्र 47 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम शैरपुर तहसील बहरी जिला–सीधी (म0प्र0) ----------निगरानीकर्ता

बनाम

1.वैजनाथ पिता श्री विश्वनाथ राम

2.रामभुवन पिता श्री विश्वनाथ राम

3.छोटे राम पिता स्व0 श्री मूलचन्द्र

4.सुरेश पिता स्व0 श्री मूलचन्द

5.श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द

सभी निवासी ग्राम शैरपुर,तहसील बहरी,जिला सीधी (म.प्र.)

6.म0प्र0शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवां तहसील बहरी जिला–सीधी (म.प्र.) ---गैर निगरानीकर्तागण

गिरीश तिवारी एड के
द्वारा आज दिनांक 31-8-15
प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवां तहसील बहरी, जिला सीधी द्वारा प्र.क्र.146अ12/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 30/08/2015 <u>को निरस्त किये जाने बावत।</u>

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 <u>भू–राजस्व संहिता 1959 ई.</u>

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त परिचयः–

(अ).ग्राम शैरपुर पटवारी हल्का शैरपुर, रा.नि.मं. देवगवां तहसील बहरी, जिला सीधी (म0प्र0) की आराजी नम्बर 101 ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5137–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता उपस्थित। उनके प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। विचाराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक कमांक 1 बैजनाथ द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सभी शरहदी कास्तकारों को विधिवत सूचना दिये जाने के उपरांत दिनांक 15–6–15 को सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन पर अनावेदक कमांक 3 छोटे राम द्वारा आपत्ति किये जाने एवं उक्त आपत्ति को उचित पाते हुये पुनः सीमांकन दिनांक 1–7–15 को किया गया जिसपर आवेदक दद्दू द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय द्वारा अपने सीमांकन आदेश दिनांक 30–8–15 के द्वारा आवेदक की आपत्ति सीमांकित आराजी के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त की तथा सीमांकन की पुष्टि की है। स्पष्ट है कि आवेदक की आपत्ति का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय किया जा चुका है। आवेदक द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को इस न्यायालय में दोहराया गया जिनका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में हो चुका है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	